रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 1979 (अग्रहायण 17, 1901)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 1979 (AGRAHAYANA 17, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	633
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1547
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1077
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	2781
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	3449
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	431
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	10085
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	695
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2939
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	173

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	633
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1547
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions. Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1077
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II.—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Adminitrations of Union Territories) ..	2781
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3449
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	431
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	10085
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	695
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2939
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	173

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1979

संकल्प

स० एच० 11021/22/79-समन्वय—भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा के लिये गठित उच्चाधिकार समिति का कार्यकाल 7 नवम्बर 1979 के स्थान पर 31 मार्च 1980 तक बढ़ाने का निर्णय किया है जैसा कि उक्त संकल्प के पैरा 5 में इंगित किया गया है, देखें इस विभाग का दिनांक 7 जुलाई 1979 का संकल्प सं० एच० 11021/22/79-समन्वय।

2. उक्त संकल्प के पैरा 2 के क्रमांक 1 के सामने श्री कृपा नारायण के लिये श्री एस० एस० पूरी, सचिव, योजना एवं सांख्यिकी का नाम प्रतिस्थापित किया जाये।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र भाग—1 खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा सभी अन्य सम्बन्ध व्यक्तियों/कार्यालयों को भेजी जाये।

आर० एन० भक्सेना
उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 1979

संकल्प

स० 8-2/79-आई० जे० सी०—योजना आयोग के दिनांक 23 फरवरी 1979 के संकल्प संख्या 2-2/74-आई० जे० सी० में, जिसमें भारत-जापान अध्ययन समिति का पुनर्गठन अधिसूचित किया गया है आशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि योजना आयोग में संयुक्त निदेशक श्रीमती कमला शास्त्री इस समिति की सचिव होंगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैनिक सचिव और विदेशों में स्थित सभी भारतीय दूतावासों के प्रमुखों को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

योगेन्द्र मोहन
निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 1979

लिपिक श्रेणी परीक्षा (समूह "घ" कर्मचारियों के लिए), 1979

नियम

सं० 11/2/79-के० से० II—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के ग्रेड VI के अवर श्रेणी ग्रेड और संसदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली में निम्न श्रेणी लिपिक के पदों में नियमित रूप से नियुक्त ग्रुप "घ" कर्मचारियों के लिए आरक्षित अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से, गृह मंत्रालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मई 1980 में ली जाने वाली प्रतियोगात्मक परीक्षा के नियम सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. उम्मीदवार परीक्षा में प्रविष्ट किए जाएंगे व निम्नलिखित सेवाओं के अवर श्रेणी ग्रेड में रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता करने के पात्र होंगे :

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, यदि वे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं,

(ii) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा, यदि वे सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में नियुक्त हैं,

(iii) भारतीय विदेश सेवा (ख) का ग्रेड VI यदि वे विदेश मंत्रालय या विदेशों में इसके दूतावासों में नियुक्त हैं, और

(iv) संसदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली-1, यदि वे संसदीय कार्य विभाग नई दिल्ली में नियुक्त हैं।

3. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा रोजगार समाचार में जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाएगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण किया जाएगा।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा

उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार।

संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1969

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 और अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति (संशोधन) अधिनियम, 1976।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा। किस तारीख और किस/किन स्थान (नों) पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निश्चय आयोग द्वारा किया जाएगा।

4. कोई भी स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी ग्रुप-घ कर्मचारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो परीक्षा में बैठने का पात्र होगा :—

I. सेवा अवधि—उसने केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में अथवा सशस्त्र सेना मुख्यालय और/अथवा अन्तः सेवा संगठनों अथवा विदेश मंत्रालय अथवा विदेशों में इसके दूतावासों अथवा संसदीय कार्य विभाग में ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में अथवा किसी उच्चतर ग्रेड में 1 जनवरी 1980 को कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा की हो।

टिप्पणी 1 : 5 वर्ष की अनुधादित एवं लगातार सेवा की शर्त तब भी लागू होगी, यदि उम्मीदवार की कुल गिनती की जाने वाली सेवा आंशिक रूप में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी मंत्रालय अथवा किसी कार्यालय में अथवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी कार्यालय में ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में और आंशिक रूप से अन्यत्र उसके समकक्ष या उच्चतर ग्रेड में या विदेश मंत्रालय में और विदेशों में इसके दूतावासों में या संसदीय कार्य विभाग में ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में हों।

टिप्पणी 2 : जो ग्रुप "घ" कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। जो ग्रुप "घ" कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त किया गया है अथवा स्थानान्तरण पर अन्य सेवा में है और फिलहाल ग्रुप "घ" के पद पर उसका ग्रहणाधिकार बना हुआ है वह भी अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने का पात्र है।

II. आयु—वह 1 जनवरी, 1980 को 50 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए अर्थात 2 जनवरी, 1930 से पहले उसका जन्म न हुआ हो।

यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है तो उपर्युक्त निर्धारित आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष और यदि विकलांग व्यक्ति हो, तो 2 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। ऊपर बताई गई तिथियों के अथवा निर्धारित आयु सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी।

III. शैक्षिक अर्हता: भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक की परीक्षा अथवा माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय के अन्त में किसी राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या कोई अन्य प्रमाण पत्र जो उस राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा सेवाओं में प्रवेश के लिए मैट्रिक प्रमाण-पत्र के समकक्ष माना जाता हो वह परीक्षा उम्मीदवारों द्वारा अवश्य पास की होनी चाहिए।

टिप्पणी 1 : यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिस के पास करने से वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से पात्र हो जाएगा परन्तु जिस का परिणाम उसे सूचित न किया गया हो तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का विचार कर रहा हो, वह आयोग की परीक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी 2 : कुछ विशिष्ट मामलों में, जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है जो पहले सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर लिया गया हो कि उसने —

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है; अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छदम रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा हू प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाए हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे —

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो, उसे उक्त परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।

9. परीक्षा के बाद, आयोग अन्तिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के आधार पर उन उम्मीदवारों की, योग्यताक्रम से चार अलग-अलग सूचियां तैयार करेगा, और उसी क्रम से परीक्षा के परिणामों के आधार पर क्रमशः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड VI और संसदीय कार्य विभाग में भरे जाने के लिए निम्नवत अनारक्षित रिक्तियों की संख्या के अनुसार जितने उम्मीदवार परीक्षा द्वारा, अर्हता-प्राप्त समझे जाएंगे, उनकी नियुक्ति के लिए आयोग सिफारिश करेगा ।

लेकिन शर्त यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए आयोग निर्धारित सामान्य स्तर में रियायत देकर भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक के स्थानों पर, परीक्षा में उनके योग्यता-क्रम की स्थिति का ध्यान किए बिना ही, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि सेवा में चुने जाने के लिए उपयुक्त हों ।

टिप्पणी : उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि यह प्रतियोगितात्मक परीक्षा है, अर्हक परीक्षा नहीं । परीक्षा के परिणाम के आधार पर निम्न श्रेणी ग्रेड में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है । इस लिए इस परीक्षा में निष्पादन के आधार पर निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्ति के अधिकार का दावा कोई उम्मीदवार नहीं कर सकेगा ।

10. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परीक्षा-फल के संबंध में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

11 आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता ।

12. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सम्बन्धित सेवा के अधिकारों के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी, जिनके बारे में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की सम्भावना हो ।

टिप्पणी : विकलांग भूतपूर्व रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवाओं के सैन्य विघटन चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा ।

13. इस परिणाम के आधार पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों के साथ एक शर्त यह होगी कि यदि उम्मीदवार ने सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल अथवा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान अथवा अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा ली गई अंग्रेजी या हिन्दी की कोई आवर्ती टंकण परीक्षा पहले ही पास न की हो तो वह नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संचालित अंग्रेजी में 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से ऐसी परीक्षा पास करेगा । ऐसा न करने पर जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि (वृद्धियां) नहीं दी जाएंगी ।

यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि में उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो उसे अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में नियुक्त करने से पूर्व मूल नियुक्ति पर अथवा अस्थायी पद पर लौटा दिया जाएगा ।

टिप्पणी : परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त जिस उम्मीदवार ने उपर्युक्त निर्धारित आधार पर टंकण परीक्षा पहले ही पास कर ली हो या जो अपनी नियुक्ति के 6 मास के भीतर टंकण परीक्षा पास कर लेगा उसे पहली वेतन वृद्धि एक वर्ष के बजाए छः महीने के बाद ही दी जाएगी, परन्तु इसे बाद में नियमित वेतन वृद्धियों में समाविष्ट कर लिया जाएगा ।

14. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपने ग्रुप "घ" पद की नियुक्ति से त्याग-पत्र देता है अथवा/और किसी कारणवश नौकरी छोड़ देता है अथवा उससे संबंध-विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा वह किसी संवर्ग-बाह्य पद पर अथवा किसी अन्य सेवा में स्थानान्तरण पर नियुक्त हो जाता है और ग्रुप "घ" पद पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं रहता है, तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह बात उस ग्रुप "घ" कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगी, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रति-नियुक्ति पर नियुक्त किया गया है ।

के० बी० नायर, अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्न योजना के अनुसार होगी :—

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

पत्र सं०	विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
(i)	लघु निबंध	100	1½ घंटे
(ii)	सामान्य अंग्रेजी	50	1 घंटा
(iii)	भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान	50	1 घंटा

2. परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में बताया गया है।

3. उम्मीदवारों को छूट होगी कि वे प्रश्नपत्र 1 या प्रश्नपत्र 3 या दोनों के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी लिपि) में किसी में दें। प्रश्न पत्र II के उत्तर सब उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहिए।

टिप्पणी 1 : प्रश्न पत्र 3 में छूट पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगी, इस प्रश्न पत्र के अलग-अलग प्रश्नों के लिए नहीं।

टिप्पणी 2 : उपर्युक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) में देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना इरादा आवेदन पत्र में स्पष्टतः लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्नपत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देंगे।

टिप्पणी 3 : एक बार चुना हुआ विकल्प अन्तिम होगा और इसके परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं होगा।

टिप्पणी 4 : उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के सिवाय किसी अन्य भाषा में उत्तर देने पर कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालिफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

6. केवल छिछले ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

7. अस्पष्ट लिखावट के लिए पूर्णांक के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे।

अनुसूची

पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र-I लघु निबंध:-- दिए गए कई विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा।

प्रश्न पत्र-II सामान्य अंग्रेजी --उम्मीदवारों की साधारण वाक्य-रचना, व्यावहारिक व्याकरण तथा प्रारम्भिक सारणीकरण (आंकड़ों को संकलित करने तथा सारणी के रूप में उन्हें व्यवस्थित और प्रस्तुत करने की कला में उम्मीदवारों की योग्यता जांचने के लिए) में परीक्षा ली जाएगी।

प्रश्न पत्र-III : भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान-- सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव, जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से, जिसने कि किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो, आशा की जा सकती है। इस पत्र में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 1979

संकल्प

सं० 98(3)-इंश्योरेंस II/78 --वित्त मंत्रालय के दिनांक 18 मई, 1979 के संकल्प सं० 98(3) इंश्योरेंस II/78 में, जिसके अनुसार राज्य सभा सदस्य श्री इरा सेझियन की अध्यक्षता में जीवन बीमा निगम के कार्य की समीक्षा करने के लिये समिति स्थापित की गई थी, आंशिक संशोधन करते हुए समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 30 जून, 1980 तक बढ़ा दिया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों आदि को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शिव दयाल रहेजा, अवर सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(DEPARTMENT OF STATISTICS)

New Delhi, the 16th November 1979

No. H-11021/22/79-Coord.—The Government of India have decided to extend the term of the high-powered Committee to Review the Functions of National Statistical System constituted vide this Department Resolution No. H-11021/22/79—Coord., dated the 7th July, 1979 upto 31st March, 1980 instead of 7th November, 1979 as indicated in para 5 of the aforesaid Resolution.

The name of Shri S. S. Puri, Secretary Planning and Statistics may be substituted for Shri Kripa Narain against S. No. 1 of Para 2 of the said Resolution.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Deptts. to the Govt. of India/all State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

R. N. SAXENA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 1st November 1979

No. VIII-2/79-IJC. In modification of paragraph (2) of Planning Commission Resolution No. II-2/74-IJC dated 23rd February 1979 notifying the reconstitution of the India-Japan Study Committee it has been decided that Mrs. Kamala Shastri, Joint Director, Planning Commission will be the Secretary of the Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Chief Ministers of States, all Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Secretary to the President, the Military Secretary to the President and Heads of all Indian Missions abroad.

ORDERED also that a copy be published in the Gazette of India.

Y. MOHAN Dir. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

Clerks' Grade Examination (For Group 'D' Staff) 1979

RULES

New Delhi-110001, the 8th December 1979

No. 11/2/79-CS.II.—The Rules for a competitive examination to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel and Administrative Reforms, Ministry of Home Affairs, New Delhi in 1980 for the purpose of filling temporary vacancies reserved for regularly appointed Group 'D' Staff in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, the Armed Forces Headquarters Clerical Service, Grade VI of the Indian Foreign Service Branch (B) and for the Posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs, New Delhi are published for general information.

The candidates who are admitted to the examination will be eligible to compete for vacancies in the Lower Division Grade :—

(i) in the Central Secretariat Clerical Service, if they are working in the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service;

(ii) in the Armed Forces Headquarters Clerical Service, if they are employed in the Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations;

(iii) in Grade VI of the IFS(B), if they are employed in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad; and

(iv) in the Department of Parliamentary Affairs, New Delhi-1, if they are employed in that Department.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the advertisement to be issued by the Commission in the Employment News. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and physically handicapped persons in respect of vacancies as may be fixed by the Govt. of India.

Scheduled Castes/Tribes means any of the Castes Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) order, 1951; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix to these Rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary Group 'D' employee who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination :—

I. *Length of Service.*—He should have rendered on 1st January, 1980, not less than 5 years of approved and continuous service as a Group 'D' employee or in any higher Grade in Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service, or Armed Forces Headquarters and/or Inter Service Organisations or in the Ministry of External Affairs or its missions abroad or in the Department of Parliamentary Affairs.

NOTE (1) The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of the candidate is partly as a Group 'D' employee in any Ministry or Office participating in the Central Secretariat Clerical Service or in the offices participating in the Armed Forces Headquarters Clerical Service and partly elsewhere in equivalent or higher grade or as Group 'D' employee in the Ministry of External Affairs and its Missions abroad or in the Department of Parliamentary Affairs.

NOTE (2) Group 'D' employees who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. A Group 'D' employee who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on transfer and continues to have a lien on a Group 'D' post for the time being will also be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

II. *Age.*—He should not be more than 50 years of age on 1st January, 1980 i.e. he must not have been born earlier than 2nd January, 1930.

The age limit prescribed above will be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and 2 years in the case of a physically handicapped person.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

III. *EDUCATIONAL QUALIFICATION*

Candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School, High School or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Govt. of India as equivalent to Matriculation certificate for entry into service.

NOTE 1. A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends to appear at such a qualifying examination will NOT be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2. In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of that government justifies his admission to the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature, for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attemping to commit or, as the case may be, abeting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period;

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

9. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in separate lists, in the order of merit, as disclosed by aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination, in the Central Secretariat Clerical Service, Armed Forces Headquarters Clerical Service, Grade VI of Indian Foreign Service (B), and Department of Parliamentary Affairs respectively.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Staff Selection Commission, by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be appointed to the Lower Division Grade on the results of the exambination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for appointment as a Lower Division Clerk on the basis of the performance in this examination as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the results.

11. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is eligible and suitable in all respects for appointment to the Service.

12. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of the disabled ex-Defence Service personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of an appointment.

13. All appointments on the results of this examination shall be subject to the condition that unless a candidate has already passed one of the periodical typewriting tests in English or Hindi held by the Secretariat Training School or the Institute of Secretariat Training and Management or Subordinate Service Commission or Staff Selection Commission, he shall pass such a test at a minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per minute to be held by the authority designated by the Government for the purpose within a period of one year from the date of appointment failing which no annual increment(s) shall be allowed to him until he has passed the said test.

If any candidate does not pass the said typewriting test within the period of probation he is liable to be reverted to his substantive appointment or temporary post held by him before his appointment to Lower Division Grade.

NOTE.—A candidate appointed on the results of the examination who has already passed the typewriting test as prescribed above or who passes it within a period of 6 months from the date of his appointment will be granted the first increment after 6 months instead of one year's service. This will, however, be absorbed in the subsequent regular increment.

14. A candidate who after applying for admission to the Examination or after appearing at it, resigns his appointment as a Group 'D' employee, or otherwise quits the Service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien on a Group 'D' post will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Group 'D' employee who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

K. B. NAIR, Under Secy.

APPENDIX

The examination will be conducted according to the following scheme :—

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Paper No.	Subject	Maxium Marks	Time Allowed
I	Short Essay	100	1/2 hours
II	General English	50	1 hours
III	General Knowledge (Including Geography of India).	50	1 hours

2. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule to the Appendix.

3. The Candidates are allowed the option to answer Paper I or Paper III or both either in Hindi (in Devanagri script) or in English. Paper II must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option for Paper III will be for the complete paper and not for different questions in it.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers of the examination in Hindi (in Devanagri script) should indicate their intention to do so in their application. Otherwise it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3.—The option once exercised will be final and no request for change of option will ordinarily be entertained.

NOTE 4.—No credit will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

5. The Commission has discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS

PAPER : I *Short Essay.*—An essay to be written on any one of the several specified subjects.

PAPER : II *General English.*—Candidates will be tested in simple composition, Applied Grammer and Elementary Tabulation (to test candidates ability in the art of compiling, arranging and presenting data in a tabular form).

PAPER : III *General Knowledge including Geography of India.*—Knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on Geography of India.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

INSURANCE DIVISION

New Delhi, the 12th November, 1979

RESOLUTION

No. 98(3) Ins. II/78.—In partial modification of the Ministry of Finance Resolution No. 98(3)-Ins. II/78 dated the 18th May, 1979, setting up the Committee to Review the Working of the Life Insurance Corporation of India under the chairmanship of Shri Era Sezhiyan, Member, Rajya Sabha, the time for submission of the report of the Committee has been extended till 30th June, 1980.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. D. RAHEJA, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979